क्रमांक 60-3 जी0 एस0-II-75/6408

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी (सिविल) हरियाणा।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ तथा जिला तथा सत्र न्यायाधीश, हरियाणा में।

दिनांक चण्डीगढ़ 13 मार्च, 1975

विषय :– सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान तथा अन्य सुविधाएं देना।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 9054-4 जी0 एस0-II-70/32230, दिनांक 22 दिसम्बर, 1970 तथा इस विषय पर समय समय पर जारी की गई हिदायतें की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से जो हिदायतें जारी की गई हैं उनमें यह स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि ऐसे केसों को निपटाने के लिये जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए।

2. परन्तु कुछ समय से यह देखने में आया है कि संबंधित विभाग मृतक कर्मचारियों के बारे में निर्धारित फार्मों में वैलफेयर सैल को सूचना भेजने में काफी देरी कर देते हैं जिससे पीड़ित परिवार को समय पर सहायता न मिलने के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ जाता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने यह निर्णय लिया है कि संबंधित विभाग मृतक कर्मचारियों के परिवारों को अनुदान देने के केसों में सूचना तथा निर्धारित प्रोफार्मा जि मृतक के आश्रितों से निजि स्तर पर भरवाकर मुकम्मल केस 15 दिनों के अन्दर अन्दर इस विभाग को भेजें।

3. आपसे अनुरोध है कि इन हिदायतों का दृढ़ता से पालन किया जाए तथा इसकी पावती भेजी जाए।

भवदीय,
हस्ताक्षर
अवर सचिव, न्यायाचार।
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक प्रति वित्तायुक्त राजस्व हरियाणा तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।